Indian J. Soc. & Pol. 10 (02):53-56:2023 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2023 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

मानवाधिकार की संकल्पना

संजीत कुमार सिंह[1]

[1]सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बापू पी0जी0 कालेज पीपीगंज, गोरखपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

मनुष्य मुख्यतः मानव कर्तव्यों की छाया में जीता था। आज का आदमी मुख्यतः मानव अधिकारों की छाया में जीता है। अधिकारों की यह फैलती हुई चेतना मानव स्वतंत्रता का एक नया अध्याय है। किसी भी देश के सभ्य और सुसंस्कृत होने की कसौटी अब यह नहीं रही कि वह कितना अमीर और बलशाली है। कसौटी यह है कि वहां मानव अधिकारों का कितना सम्मान होता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीतयुद्ध के दौरान मानव अधिकार आन्दोलन पर अमेंरिका तथा मध्य यूरोप की विश्व राजनीति का जो ग्रहण लगा था उसकी छाया अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुयी है इसके बावजूद मानव अधिकारों की चेतना व्यापक होती जा रही है। और उनका दर्शन ज्यादा गहरा तथा प्रामाणिक बनता जा रहा है।

KEYWORDS: *अधिकार, मानवाधिकार, भ्रातृत्व, वैश्विक सन्दर्भ*

मानव अधिकारों की वकालत करने वालों को सरकार, जनसंचार माध्यम और प्रायः सभी राजनीतिक दलो द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। मानव अधिकारों का जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ क्योंकि इस अधिकारों के बिना वह न तो गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकता था और न सभ्यता तथा संस्कृति का विकास कर सकता था। क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति, या समूह दूसरों का शोषण करके ही अपना वर्चस्व बनाए रख सकते थे। मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हें संगठित रूप देने का पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर 1926 को दासता के विरूद्ध हुए विश्व सम्मेंलन के रूप में सामने आया। लगभग चार वर्ष बाद 28 जून 1930 को बलात् श्रम पर सम्मेंलन हुआ। 16 साल के लम्बे अन्तराल के बाद मानव अधिकारों की पहली सुव्यवस्थित घोषणा 10 दिसम्बर 1948 को सामने आयी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गयी यह घोषणा ''मानव अधिकारों'' की ''विश्व घोषणा'' कहलाती है।

10 दिसम्बर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसम्बर 1984 की रात ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बिना किसी असहमति के मानवाधिकारों के विश्व–घोषणा पत्र को अंगीकृत एवं घोषित किया। मानवाधिकारों की अवधारणा इतिहास की लम्बी अवधि में विकसित हुई। यह अवधारणा सत्ता के स्वेच्छाचारी इस्तेमाल को रोकने के उपकरण के रूप में विकसित हुई। आरम्भ में यह राज्यों के भीतर ही लागू होती थी, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की व्यवस्था नहीं थी। राज्यों के भीतर भी यह उच्च वर्गों के अधिकारों तक सीमित लगती थी। वर्ग और नस्ल का ख्याल किये बिना सभी मनुष्यों के अधिकारों के रूप में इस अवधारणा के विकसित होने में लम्बा समय लगा। 13वीं सदी का प्रसिद्ध मेंग्नाकार्टा राजा और सामन्तशाही के बीच एक समझौता था। हालाकिं इसमें कुछ ऐसी धारणाएं भी थी, जो आम लोगो के लिए लागू होती थी, पर इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के सामन्तों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करना था। मानवाधिकारों की इससे अधिक विस्तृत अवधारणा ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने पेश की , जब 1689 में राजा को पदच्युत करने तथा उसे मौत के घाट उतारने के बिल ऑफ राइट्स (अधिकार पत्र) में उन्होने सभी नागरिकों के न्यूनतम् अधिकारों का वर्णन किया। लगभग एक सदी बाद 1776 में अमेंरिकी क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राजा की दासता से ''आहरणीय'' मानवाधिकारों को शामिल किया। इनमें ''जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश'' के अधिकार शामिल थे। इसके कुछ ही समय उपरान्त फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राजा को हटाने और उसे मौत के घाट उतारने के बाद मनुष्य के अधिकारों का घोषणा–पत्र तैयार किया। इसमें उन्होने घोषित किया कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते और रहते है और उनके अधिकार बराबर है तथा किसी राजनीतिक संघ का उद्देश्य ''स्वतंत्रता, सम्पति, सुरक्षा और दमन के विरोध'' के मानवाधिकारों की पुष्टि है, इस प्रकार मानवाधिकारों की अवधारणा हमेंशा ही क्रांतिकारी अवधारणा रही हैं।

इस धारणा में एक नया आयाम तब जुड़ा जब धीरे–धीरे और कुछ अन्तरालों पर यह महसूस किया जाने लगा कि मानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ उन राज्यों की चिन्ता का विषय नहीं है, जहां इनका उल्लंघन होता है, बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना समूची मानवता की चिन्ता का विषय है।

मानवाधिकारों के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता हाल का विकास है और संचार के विकास के साथ दुनिया के सिकुड़ने का परिणाम है। इसके निहितार्थों को अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास की सबसे स्पष्ट मिसाल सम्भवतः दास–प्रथा की समाप्ति के लिए आन्दोलन में

1: Corresponding Author

मिलती है। दास–व्यापार की समाप्ति। यह दास–प्रथा की समाप्ति से अलग है। जिसके उपाय कई देशों ने किये। इसका आरम्भ उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस ने किया। बाद में 1833 में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में दास प्रथा की समाप्ति के लिए ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक पारित किया। इसके बाद ऐसे ही उपाय अन्य देशों में किये गये और दास प्रथा व्यापार की समाप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुए।

राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) के तत्वावधान में मानवाधिकारों की रक्षा एवं इन्हे बढ़ावा देने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास कई गुना बढ़ गयें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तब आरम्भ में मानवाधिकारों का अर्थ समझा जाता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर से प्रतिबन्धों का हटाना, मानवाधिकारों के समर्थक अल्पमत राज्य चाहते थे, एक ऐसा राज्य जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपना मुख्य कर्तव्य माने और जो मनमानी गिरफ्तारी, मनमानी तानाशाही और सम्पति की जब्ती तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता एवं धार्मिक आस्थाकी स्वतंत्रता पर मनमानी प्रतिबन्ध लगाने से बाज आये। आमूल परिवर्तनवादी विचारों के प्रभाव से मानवाधिकारों की आवधारणा में कई सकारात्मक मानवीय आवश्यकतायें शामिल होने लगी। जिन्हे कभी–कभी गरीबी से मुक्ति, असुरक्षा से मुक्ति, और अज्ञान से मुक्ति जैसे रूपों में नकारात्मक ढ़ग से व्यक्त किया गया, पर इनसे मुक्ति सकारात्मक अधिकार थे। न्यूनतम शिक्षा, लाभदायक रोजगार, बेरोजगारी से सुरक्षा और चिकित्सा पाने के अधिकार राज्य उचित कदम उठाकर इन अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है ।

राष्ट्रसंघ ने स्त्रियों का व्यापार रोकने, विवाह की आयु बढ़ाने, विभिन्न देशों में बाल–कल्याण को सुनिश्चित करने तथा हजारों शरणार्थियों के पुर्नवास के कदम उठाए लेकिन मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जरिए हुआ। जो लोग दोनों विश्व युद्धों के बीच भारतीय मजदूर आन्दोलन से जुडे थे वे काम के घण्टे सीमित करने , कारखानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थितियॉ सुनिश्चित करने, महिलाओं और बच्चों को काम करने की मानवीय स्थितियॉ मुहैया कराने तथा आमतौर पर मजदूरों के बारे में उदार सहकारी नीतियों को आगे बढ़ाने में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का योगदान प्रशंसनीय है।

मानवाधिकारों का विश्व–घोषणा–पत्र महासभा द्वारा एक ऐसे प्रतिमान के रूप में ग्रहण किया गया, जिसे सभी लोगो और सभी राष्ट्रों के बीच हासिल किया जाना था। महासभा और संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंगो ने बार–बार घोषणा पत्र में निहित सिद्धांतो को लागू किया है और उसके अनुरूप कार्यवाही की हैं। ''घरेलू क्षेत्राधिकार'' का सिद्धान्त महासभा को उन मामलों में हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप का प्रयास करने से रोक नहीं सके है। जहॉ मानवाधिकारों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है। महासभा ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के प्रति जो रूख अपनाया वह इस बात की अच्छी मिसाल है। घोषणा–पत्र की जो भी राजनीतिक और कानूनी शक्ति प्राप्त हुई है, वह इसकी नैतिक सत्ता से निकली है और इसकी नैतिक सत्ता अन्तर्राष्ट्रीय जनमत के समर्थन में उपजी है भारत में आवष्यक मानवाधिकारों की संविधान के मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतो वाले हिस्सों में शामिल किया गया है। ये अधिकार आज चरम दक्षिण पंथियों के हमले का निशाना हैं। लोकतंत्र समर्थकों और मानवतावादियों के लिए आज भारत में मानवाधिकार दिवस मनाने का सर्वोत्तम तरीका है।

मानवाधिकारों की विश्व घोषणा –

(1) सभी मानव प्राणी जन्म से ही स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकारों में बराबर है। उनमें विचार शक्ति तथा अन्तश्चेतना होती है और उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए।

(2) इस घोषणा पत्र में सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हक हर किसी को नस्ल, रंग, लिंग, भाशा धर्म राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या हैसियत का अन्य कोई आधार जैसे किसी भी तरह के भेदभाव के वगैर है। इसके अलावा जिस भी देश या भूखण्ड के किसी भी व्यक्ति का सम्बन्ध है, भले ही वह स्वतंत्र हो, गैर स्वशासी या प्रभुसत्ता की किसी भी सीमा के तहत हो, उसके साथ उस देश या भूखण्ड की राजनीतिक, न्यायिक या अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को जीने का स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।

(4) किसी को गुलाम या बेगार के रूप में नहीं रखा जाएगा। गुलामी और बेगारी प्रथा के सभी रूपों को प्रतिबन्धित किया जाएगा।

(5) किसी के साथ अत्याचार या निर्दयता अथवा क्रूर अमानवीय या गरिमाहीन व्यवस्था नहीं किया जाएगा, न इस तरह की सजा किसी को दी जाएगी।

(6) प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समझ हर कही व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है।

(7) कानून के सम्मुख सभी बराबर है और सभी को बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। सभी को इस घोषणा पत्र का उल्लंघन कर किये जाने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ और ऐसे किसी भेदभाव को प्रोत्साहित करेन के खिलाफ समान संरक्षण का अधिकार है।

(8) कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हर एक को सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकार द्वारा उपचार का अधिकार है।

(9) किसी को भी निरंकुश ढ़ग से न गिरफ्तार किया जाएगा, न हिरासत में लिया जाएगा और न निर्वासित किया जाएगा।

(10) प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण में और अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के आपराधिक आरोप पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा न्यायपूर्ण सार्वजनिक सुनवाई का पूरी तरह समान अधिकार है।

(11) किसी को भी ऐसा कोई कार्य करने या न करने के लिए जो इस घटना के वक्त राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के तहत दण्डनीय नहीं था, किसी दण्ड अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। न ही उस पर जिस समय वह अपराध हुआ उस समय लागू जुर्माने से अधिक जुर्माना आरोपित किया जाएगा।

(12) किसी भी व्यक्ति की एकांतता (प्राईवेसी), परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना दखल नहीं किया जाएगा न ही उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को चोट पहुॅचाई जाएगी। ऐसे किसी दखल या आक्रमण के खिलाफ हर एक को कानून का संरक्षण पाने का अधिकार है।

(13) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित कोई भी देश छोड़ने और अपने देश में लौटने का अधिकार है।

(14) प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण चाहने और उसका उपभोग करने का अधिकार है।

(15) प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र का नागरिक बनने का अधिकार है।

(16) यह अधिकार उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जिनमें वास्तविक रूप से गैर राजनीतिक अपराधों के कारण संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर मुकदमा कायम किया गया हो।

(17) किसी को भी मनमाने तरीके से न तो उसकी राष्ट्रीयता से वंचित किया जाएगा और न ही अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

(18) विवाद दोनो पक्षों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति से आधार पर ही होगा।

(19) परिवार समाज की प्राकृतिक और बुनियादी समूह इकाई है और उसे समाज तथा राज्य का संरक्षण पाने का अधिकार है।

(20) हर एक को अकेले तथा अन्यों के साथ निजी सम्पति रखने का अधिकार है।

(21) किसी को भी मनमाने तरीके से उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

(22) हर एक को विचारों, अंतश्चेतना और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म और आस्था बदलने की स्वतंत्रता शामिल है। और अकेले या अन्यों के साथ सार्वजनिक रूप से या एकान्त में अपने धर्म या आस्था को शिक्षा प्रथा, पूजा और परिपालन में अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है।

(23) हर एक को अपना मत रखने और उसकी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता कर अधिकार है इस अधिकार में बिना दखल के अपना मत रखने या किसी भी माध्यम के जरिए और सीमाओं से परे सूचनाएं और विचार चाहने, ग्रहण करने तथा प्रदान करने का अधिकार शामिल है।

(24) हर एक को शान्ति–पूर्वक एकत्र होने और संघ बनाने का अधिकार है।

(25) किसी को भी किसी संघ से सम्बद्ध होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

(26) प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वतंत्रतापूर्वक चुने गये प्रतिनिधियों के जरिए, अपने देश की सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार है।

(27) हर एक को अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं से समान–रूप से लाभान्वित होने का अधिकार हैं।

(28) सरकार की शक्ति का आधार जन–इच्छा होगी। यह इच्छा समय–समय पर होने वाले ईमानदार चुनावों में अभिव्यक्त की जाएगी, जो समान ओर बालिग मताधिकार के आधार पर होंगे तथा गुप्त मतदान या ऐसी ही किसी स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया द्वारा कराये जायेंगे।

(29) समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। उसे अपने राज्य के संसाधनों और संगठनों के अनुसार तथा राष्ट्रीय प्रयास एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए अपनी गरिमा तथा अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अनिवार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को साकार करने का हक है।

(30) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का, रोजगार के स्वतन्त्र चुनाव का, काम की उचित ओर अनुकूल स्थितियों का तथा बेरोजगारी के खिलाफ संरक्षण प्राप्ति का अधिकार है।

(31) प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है।

(32) प्रत्येक व्यक्ति को, जो काम करता है, उचित और अनुकुल पारिश्रमिक का अधिकार है, जिससे उसका और उसके परिवार का मानवीय गरिमा के साथ जीवन–यापन हो सके और अगर आवश्यकता पड़े तो इसकी नाधिक–पूर्ति सामाजिक संरक्षण के अन्य माध्यमों द्वारा हो।

(33) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितो के संरक्षण के लिए श्रमिक संगठन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

(34) प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है, जिसमें उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र और पूर्ण विकास सम्भव है।

(35) अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के इस्तेमाल में किसी भी व्यक्ति पर कानून द्वारा निर्धारित ऐसी हदें ही लगायी जायेंगी, जिनसे अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्राओं और अधिकारों की उचित मान्यता तथा सम्मान का उद्देश्य पूरा हो सके और एक लोकतांन्त्रिक समाज में नैतिकता, जन–व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकतायं पूरी हो।

(36) इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विपरीत नहीं किया जा सकेगा।

(37) इस घोषणा की किसी भी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसका अर्थ यह निकलता हो कि किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को इस घोषणा में निहित किसी भी अधिकार या स्वतन्त्रता को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी गतिविधि में भाग लेने या कोई काम करने का अधिकार है।

REFERENCES

भारतीय मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

ए0आई0 आर 1964 (एस0सी0)